

08-11-17

आवेदिका अनु०।

आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं।

आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार-बार पुकार लगवाई गयी परन्तु कोई उप० नहीं हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण वसूली वारण्ट हेतु नियत है। आवेदिका द्वारा तलबाना पेश न किए जाने के कारण अनावेदक को वसूली वारण्ट जारी नहीं किया जा सका है। आज दिनांक को आवेदिका अनु० है। आवेदिका की ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है। अतः प्रस्तुत आवेदन आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखार में भेजा जावे।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)